**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड**

**95वीं त्रैमासिक बैठक**

**संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया**

**दिनांक: 05-06-2026**

**स्थान– प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची**

## राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 95वीं त्रैमासिक बैठक की कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 95वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 05 जून 2026 को प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री सुब्रत कुमार द्वारा की गई। बैठक में निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति उल्लेखनीय रहे:

- श्री अंजनी कुमार ठाकुर, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- श्री मनोज कुमार, भा०प्र०से, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार
- श्री अरवा राजकमल, भा०प्र०से, सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार
- श्रीमति सीता पुष्पा, भा०प्र०से, अपर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
- श्रीमति रक्षा मिश्र, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची
- श्री नितिन गोविंदराव देशपांडे, मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय
- श्रीमति दीपमाला घोष, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय
- श्री गुरु प्रसाद गोंड, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी., झारखंड
- श्रीमती कुमकुम वर्मा, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय
- श्रीमाति संध्या गुप्ता, निदेशक, वित्त विभाग, झारखंड सरकार
- श्री संतोष कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी., झारखंड

इसके अतिरिक्त, सभी बैंकों के राज्य प्रमुख, सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक, तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी इस बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक का विधिवत शुभारंभ मंचासीन विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 95वीं पुस्तिका, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु इकाई लागत एवं किसान उत्पादक संगठन पुस्तिका का लोकार्पण सम्मानित अतिथियों द्वारा किया गया।

बैठक में क्रमशः सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनके अभिभाषण के मुख्य बिन्दु निम्नतः रहे-

### क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक एवं संयोजक, श्री गुरु प्रसाद गोंड का सम्बोधन-

सर्वप्रथम, महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों; अग्रणी जिला प्रबंधकों; तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का राज्य में बैंकिंग गतिविधियों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य द्वारा प्राप्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।

❖ श्री गोंड ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य का ऋण जमा अनुपात में वर्ष-दर-वर्ष 6.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने बताया कि दिनांक 31.03.2026 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात बढ़कर 53.78 प्रतिशत हो गया, जो दिनांक 31.03.2025 को 50.68 प्रतिशत था।

उन्होंने उल्लेख किया कि यद्यपि राज्य का ऋण-जमा अनुपात अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है, तथापि इसमें निरंतर हो रही वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य के बैंक आम नागरिकों, किसानों, उद्यमियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तक उत्पादक ऋण प्रवाह को सुदृढ़ बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। इससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति एवं मजबूती प्राप्त हो रही है।

महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने आगे जानकारी दी कि दिनांक 31.03.2026 तक राज्य के कुल जमाओं में 9.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुल अग्रिमों में 14.73 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

❖ श्री गोंड ने सदन को अवगत कराया कि माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार के परामर्शानुसार खरीफ मौसम के लिए किसानों को संतृप्त करने के उद्देश्य से एसएलबीसी द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 तक विशेष किसान क्रेडिट कार्ड अभियान संचालित किया गया।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान **कुल 15,965 आवेदन प्राप्त** किए गए, जिनमें से **11,472 आवेदनों को स्वीकृत** किया गया तथा **₹121.07 करोड़** की ऋण राशि स्वीकृत की गई।

उन्होंने सभी सदस्य बैंकों से आग्रह किया कि नए किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने, किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज का विस्तार करने तथा कृषि मूल्य श्रृंखला डेयरी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें, ताकि राज्य में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के समग्र विकास को और अधिक गति मिल सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ श्री गोंड ने राज्य सरकार से निम्नलिखित विषयों पर आवश्यक सहयोग एवं हस्तक्षेप का अनुरोध किया:

- **परिसंपत्तियों पर ऑनलाइन चार्ज निर्माण:** श्री गोंड ने अनुरोध किया कि झारखंड में गिरवी रखी जाने वाली परिसंपत्तियों पर ऑनलाइन चार्ज निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में ऐसी केंद्रीकृत डिजिटल व्यवस्था के अभाव में ऋण स्वीकृति एवं सुरक्षा सृजन की प्रक्रिया में विलंब होता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चार्ज निर्माण की व्यवस्था लागू होने से ऋण वितरण प्रक्रिया अधिक त्वरित एवं पारदर्शी होगी, धोखाधड़ी की संभावनाओं में कमी आएगी तथा राज्य में व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रदर्शन-आधारित सरकारी जमा आवंटन:** श्री गोंड ने सरकारी प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों के प्रदर्शन के आधार पर सरकारी जमा के आवंटन के विषय को विचाराधीन रखने हेतु राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहल बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों के लिए एक सकारात्मक प्रोत्साहन का कार्य करेगी तथा सदस्य बैंकों को सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, वित्तीय समावेशन और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी।
- **झारखंड MSME प्रोत्साहन नीति, 2023:** श्री गोंड ने कहा कि झारखंड MSME प्रोत्साहन नीति, 2023 राज्य में MSME क्षेत्र के विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अनुरोध किया कि बैंक अधिकारियों के लिए एक समर्पित कार्यशाला आयोजित की जाए, जिससे नीति के प्रावधानों की बेहतर समझ विकसित हो सके तथा अधिकाधिक पात्र उद्यमियों को इसका लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

- **किसान आईडी (Farmer ID) का निर्माण:** श्री गोंड ने राज्य में किसानों के लिए Farmer ID के व्यापक एवं समयबद्ध निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि Farmer ID कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण एवं वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से किसानों की प्रमाणिक एवं एकीकृत डिजिटल पहचान उपलब्ध होगी, जिससे कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, DBT, फसल बीमा एवं अन्य कृषि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, त्वरित एवं लक्षित रूप से उपलब्ध कराया जा सकेगा
- **किसान क्रेडिट कार्ड हेतु बिना LPC ऋण सीमा में वृद्धि:** श्री गोंड ने अवगत कराया कि वर्तमान में झारखंड राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बिना Land Possession Certificate के ₹1.00 लाख तक की ऋण सीमा स्वीकृत की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि किसानों की ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिना LPC के KCC ऋण सीमा को बढ़ाकर ₹2.00 लाख तक करने की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाए, जिससे अधिकाधिक किसानों को समय पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

**(एक्शन- राज्य सरकार)**

- महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने सदन को अवगत कराया कि वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा बैंक शाखाओं में संधारित सरकारी खातों के संचालन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) जारी की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त SoP में नए एवं विद्यमान सरकारी खातों के संचालन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश शामिल हैं।

  उन्होंने आगे बताया कि एसएलबीसी द्वारा यह SoP सभी सदस्य बैंकों एवं LDMs के साथ साझा की जा चुकी है। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि इसे अपनी शाखाओं तक प्रसारित कर इसके अनुपालन को सुनिश्चित करें, ताकि सरकारी खातों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना को रोका जा सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)**

- अंत में, श्री गोंड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को बधाई दी। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि राज्य ने APY के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध 169.70 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है।

  उन्होंने सभी सदस्य बैंकों एवं LDMs से इस उत्कृष्ट प्रदर्शन की गति को बनाए रखने तथा अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया।

**(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)**

अपने अभिभाषण के अंत में महाप्रबंधक**,** एसएलबीसी ने **RBI,** राज्य सरकार**, NABARD** को उचित मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों को परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में एस.एल.बी.सी के सभी हितधारक अपनी भूमिका को उचित तथा प्रभावी ढंग से निष्पादित करने मे अहम भूमिका अदा करेंगे।

## ख) व्यवसायिक सत्र

व्यावसायिक सत्र का संचालन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मुख्य प्रबंधक श्री रौशन चौधरी द्वारा किया गया। इस सत्र के दौरान सभा अध्यक्ष श्री सुब्रत कुमार तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की सहभागिता में श्री चौधरी ने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों की समीक्षा की। श्री रौशन चौधरी ने अवगत कराया कि पिछली एसएलबीसी

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखण्ड

बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त न होने के कारण, 94वीं एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

सत्र के दौरान चर्चा में आए कुछ प्रमुख बिंदु एवं महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित रहे:

- सदन को अवगत कराया गया कि मार्च 2026 तक राज्य में कुल 34,594 बैंकिंग संवाददाता निष्क्रिय थे, जिनमें से 27,284 निष्क्रिय BCs Fino Payments Bank से संबंधित थे। आगे बताया गया कि मई 2026 के दौरान बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि 6,184 BCs को पुनः सक्रिय कर दिया गया है।

  बैंक से अनुरोध किया गया कि शेष निष्क्रिय BCs को शीघ्र सक्रिय करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि बैंकिंग सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

  **(एक्शन- Fino Payments Bank)**

- बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय ने IndusInd Bank द्वारा मैनुअल डेटा समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बैंक के राज्य प्रमुख से इसका कारण पूछा तथा निर्देश दिया कि आगामी तिमाही से बैंक द्वारा सभी अपेक्षित आंकड़े निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएं, ताकि राज्य स्तरीय बैंकिंग आंकड़ों के संकलन एवं समीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

  **(एक्शन- IndusInd Bank)**

- गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। सदन को अवगत कराया गया कि HDFC Bank का प्रदर्शन योजना के अंतर्गत संतोषजनक नहीं है। बैंक द्वारा अब तक केवल 11 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है, जबकि 71 आवेदन अभी भी बैंक स्तर पर लंबित हैं।

  निदेशक, वित्तीय सेवाएं ने एसएलबीसी को निर्देश दिया कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बैंकों की प्रगति की समीक्षा हेतु एक विशेष बैठक आयोजित की जाए तथा लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

  **(एक्शन- एसएलबीसी एवं एचडीएफ़सी)**

- कार्यवाही अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के विषय पर मंच में चर्चा की गई। सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर बिंदुवार उत्तर सहित ATR प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

  साथ ही, सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया गया कि ATR संबंधित बैंक के राज्य प्रमुख के अनुमोदन/हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिवेदित कार्रवाई बैंक के राज्य स्तर के प्रबंधन की जानकारी एवं संज्ञान में है।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

- फोकस ग्रुप बैंकों के अंतर्गत लंबित Re-KYC मामलों का विषय सदन में उठाया गया। सदन को अवगत कराया गया कि 09 बैंकों में लगभग 5.70 लाख खातों का Re-KYC लंबित है।

  क्षेत्रीय निदेशक, RBI ने बताया कि कुल लंबित खातों में से 94 प्रतिशत मामले केवल 08 बैंकों से संबंधित हैं तथा इनमें से लगभग 50 प्रतिशत लंबित खाते एक ही बैंक के हैं। उन्होंने आगे अवगत कराया कि इस विषय की निगरानी माननीय गवर्नर, RBI स्तर पर की जा रही है। अतः उन्होंने सभी बैंकों से Re-KYC लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा इस दिशा में विशेष प्रयास करने का आग्रह किया।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक ऋण योजना सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई। सदन को अवगत कराया गया कि सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श एवं सहमति से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ACP को अंतिम रूप प्रदान किया गया है।

  वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु कुल ACP लक्ष्य ₹1,73,040 करोड़ निर्धारित किया गया है। सभी सदस्य बैंकों एवं संबंधित विभागों से अनुरोध किया गया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समन्वित एवं सतत प्रयास सुनिश्चित किए जाएं, ताकि राज्य के समग्र आर्थिक विकास एवं प्राथमिकता क्षेत्र के वित्तपोषण को और अधिक गति मिल सके।

  **(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)**

- श्री रोशन चौधरी ने ब्रिक-एंड-मोर्टर शाखाओं की स्थापना की प्रगति से सदन को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग से ऐसे 29 स्थानों की सूची प्राप्त हुई थी, जहां जनसंख्या 3,000 से अधिक है तथा 5 किलोमीटर की परिधि में कोई ब्रिक-एंड-मोर्टर बैंक शाखा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि इन 29 स्थानों में से 9 स्थानों पर पहले से ही बैंक शाखाएं संचालित थीं तथा शेष स्थानों में 06 बैंकों द्वारा शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

  श्री चौधरी ने सभा को अवगत कराया कि कुछ बैंकों द्वारा उपयुक्त भवन एवं सुरक्षा व्यवस्था की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं उठाई गई हैं। इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा DFS से चर्चा की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि बैंकों को आवंटित स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर शाखा खोलनी है तथा उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित बैंक जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

  निदेशक, DFS ने सभी बैंकों को उक्त स्थानों पर ब्रिक-एंड-मोर्टर शाखाओं के शीघ्र संचालन हेतु सक्रिय पहल करने की सलाह दी। उन्होंने एसएलबीसी को भी इस विषय पर सदस्य बैंकों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।

  **(एक्शन- बैंक जहाँ शाखा खोलना लंबित है, एलडीएम एवं एसएलबीसी)**

- श्री रोशन चौधरी ने सदन को PFRDA द्वारा प्रारंभ की गई नई योजना NPS संचय के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

  उन्होंने योजना के उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं एवं लाभों की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की तथा सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे पात्र व्यक्तियों को इस योजना से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास करें, जिससे असंगठित क्षेत्र के अधिकाधिक लोगों को पेंशन सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सके।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

- **श्री रोशन चौधरी ने उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जहाँ राज्य सरकार से सहयोग अपेक्षित है। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:**

  1. **CNT/SPT अधिनियम** राज्य में ऋण प्रवाह की एक प्रमुख बाधा बने हुए हैं। भूमि को बंधक न रख पाने के कारण न केवल बड़े उद्योगों को ऋण देना कठिन है, बल्कि खुदरा आवास ऋण का विस्तार भी बैंकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। परिणामस्वरूप, जिस भूमि पर बड़े उद्योग स्थापित होने चाहिए थे, उसका उपयोग केवल छोटे कारोबार, जैसे नर्सरी आदि, तक ही सीमित रह गया है।
  2. **LPC/भूमि कब्जा प्रमाण पत्र:** वर्तमान में झारखंड में बैंकों द्वारा बिना LPC के केवल ₹1 लाख तक का केसीसी ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख किया जाए, ताकि किसानों को सहज रूप से ऋण उपलब्ध हो सके और कृषि विकास को प्रोत्साहन मिले।

3. **रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार के साथ चार्ज की नोटिंग:** बैंकों के पास बंधक रखी जाने वाली प्रत्येक संपत्ति पर बैंक के चार्ज/अधिकार की ऑनलाइन नोटिंग यदि रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से सुनिश्चित की जाए तो इससे पारदर्शिता में वृद्धि होगी। भारत सरकार के Digital India Land Record Modernization Program (DILRMP) के निर्देशों का पालन करते हुए यदि एनआईसी एवं भू-निबंधन निदेशालय इस दिशा में ठोस पहल करें तो धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी।
4. **स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता:** भारतीय रिज़र्व बैंक ने उप-समिति की बैठक में अवगत कराया कि वित्तीय साक्षरता से संबंधित 70 अध्यायों में से 37 अध्याय स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि शेष अध्यायों को भी यथाशीघ्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे विद्यार्थियों में वित्तीय जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

**(एक्शन- राज्य सरकार)**

## ग) निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार श्री अंजनी कुमार ठाकुर का सम्बोधन-

- निदेशक, DFS ने कहा कि 95वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में सहभागिता उनके लिए सौभाग्य एवं सम्मान की बात है। उन्होंने राज्य सरकार, RBI, SLBC, NABARD, सदस्य बैंकों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा राज्य में वित्तीय समावेशन एवं ऋण प्रवाह में निरंतर सुधार हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि राज्य में समावेशी बैंकिंग एवं ऋण वितरण को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह सहयोग आगे भी जारी रहेगा।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- श्री अंजनी कुमार ठाकुर ने कहा कि एसएलबीसी एक विशिष्ट मंच है, जो सभी हितधारकों को त्रैमासिक आधार पर एकत्र होकर बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा करने तथा आगे की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है।

  उन्होंने कहा कि राज्य ने विभिन्न मानकों पर निरंतर एवं संतोषजनक प्रदर्शन किया है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में राज्य अभी भी अग्रणी राज्यों की तुलना में पीछे है। उन्होंने कहा कि राज्य के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ऋण-जमा अनुपात में सुधार की है। उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय स्तर पर ऋण-जमा अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक है, जबकि राज्य में इस अनुपात में निरंतर वृद्धि के बावजूद यह अभी 53.78 प्रतिशत पर है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

  उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान समन्वित प्रयासों के माध्यम से राज्य के ऋण-जमा अनुपात को 53.78 प्रतिशत से बढ़ाकर कम-से-कम 60 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

**(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)**

- श्री ठाकुर ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं की नियमित निगरानी की जा रही है, जिनमें प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य के लिए ₹10 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है।

  उन्होंने आगे कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) वित्तपोषण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में से एक है। अतः सभी सदस्य बैंकों को इस योजना के अंतर्गत सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

करते हुए पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ योजना के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- निदेशक, DFS ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर प्रस्तुत व्यवसाय सत्र की समीक्षा का उल्लेख करते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत केवल कुछ बैंकों, जैसे **बैंक ऑफ इंडिया, SBI एवं झारखंड ग्रामीण बैंक**, का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है।

  उन्होंने अन्य सदस्य बैंकों से आग्रह किया कि वे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नामांकन एवं ऋण स्वीकृति में तेजी लाएं तथा अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए अग्रणी बैंकों के समकक्ष आने का प्रयास करें।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- श्री ठाकुर ने राज्य में निष्क्रिय बैंकिंग संवाददाताओं के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में BCs वर्तमान में निष्क्रिय हैं, जो वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

  उन्होंने एसएलबीसी को निर्देश दिया कि आगामी तिमाही बैठक में बैंकवार कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए तथा सभी सदस्य बैंक यह सुनिश्चित करें कि अगले तिमाही के भीतर अधिकतम निष्क्रिय BCs को पुनः सक्रिय किया जाए।

**(एक्शन- एसएलबीसी एवं बैंक)**

- श्री ठाकुर ने कहा कि शाखा विस्तार राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता एवं चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने सभी सदस्य बैंकों से आग्रह किया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रस्तावित 149 नई बैंक शाखाओं के उद्घाटन का लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।

  उन्होंने विशेष रूप से बल दिया कि Unbanked Rural Centres में शाखाओं की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच अंतिम छोर तक सुनिश्चित की जा सके तथा वित्तीय समावेशन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- निदेशक, DFS ने बैंकों द्वारा SLBC से संबंधित आंकड़ों के विलंबित प्रस्तुतीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की नियमित निगरानी एसएलबीसी द्वारा की जानी चाहिए तथा सभी सदस्य बैंक यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक आंकड़े निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाएं, ताकि समीक्षा एवं रिपोर्टिंग कार्य समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- श्री ठाकुर ने निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न सरकारी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत उनका प्रदर्शन अभी भी अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने कहा कि यह विषय एसएलबीसी की बैठकों में नियमित रूप से उठाया जाता रहा है, तथापि निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।

  उन्होंने निजी क्षेत्र के सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे सरकारी प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें तथा लाभार्थियों के ऋण स्वीकृति एवं नामांकन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करें।

**(एक्शन- निजी क्षेत्र के बैंक)**

## घ) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमति दीपमाला घोष का सम्बोधन -

- मुख्य महाप्रबंधक, NABARD ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष (**International Year of Women Farmers**) के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में महिलाओं का कृषि क्षेत्र में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, किन्तु भूमि स्वामित्व एवं परिसंपत्तियों पर अधिकार के अभाव में उनका योगदान प्रायः औपचारिक रूप से दर्ज नहीं हो पाता। इसी कारण अनेक महिला कृषक संस्थागत ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं।

  उन्होंने राज्य सरकार एवं कृषि विभाग से आग्रह किया कि **महिला कृषकों की पहचान एवं Farmer ID निर्माण** पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसकी शुरुआत डेयरी क्षेत्र से की जा सकती है, क्योंकि डेयरी गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में डेयरी क्षेत्र में प्रगति की पर्याप्त संभावनाएं हैं तथा राज्य दुग्ध महासंघ द्वारा भी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि, राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता अभी राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है, जिससे इस क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं।

  उन्होंने कहा कि यदि महिला कृषकों को विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में Farmer ID से जोड़ा जाए, तो इससे उनकी पहचान सुदृढ़ होगी तथा संस्थागत ऋण एवं अन्य कृषि संबंधी लाभों तक उनकी पहुंच सुगम हो सकेगी।

  **(एक्शन- राज्य सरकार)**

- श्रीमती दीपमाला घोष ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से मध्य-पूर्व क्षेत्र में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रहा है, जिसका प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्र, विशेषकर उर्वरकों (Fertilizers) की उपलब्धता एवं लागत पर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण उर्वरकों की लागत पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो रहा है।

  उन्होंने उल्लेख किया कि भारत सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में **"खेत बचाओ अभियान"** जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। उन्होंने कहा कि यद्यपि झारखंड उन राज्यों में शामिल नहीं है जहां DAP का अत्यधिक उपयोग होता है, फिर भी राज्य में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाता है।

  उन्होंने कृषि विभाग एवं कृषि प्रसार सेवाओं (Extension Services) से जुड़े सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग एवं वैकल्पिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियानों में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

  **(एक्शन- राज्य सरकार)**

- श्रीमती दीपमाला घोष ने सदन को अवगत कराया कि NABARD द्वारा '**जीवा परियोजना**' संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य Agro-Ecology आधारित, रसायन-मुक्त एवं Climate Resilient कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त NABARD द्वारा जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य सतत कृषि पद्धतियों के प्रसार हेतु भी विभिन्न पहलें की जा रही हैं।

  उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे प्राकृतिक एवं जैविक खेती से संबंधित परियोजनाओं एवं ऋण प्रस्तावों को प्रोत्साहित करें, ताकि राज्य में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिल सके तथा किसानों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ मुख्य महाप्रबंधक, NABARD ने सदन को अवगत कराया कि NABARD केवल Refinance प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि ऋण प्रवाह को सुगम एवं प्रभावी बनाने हेतु जागरूकता सृजन तथा ज्ञान-साझाकरण की दिशा में भी कार्य करता है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछली एसएलबीसी बैठक में लाख (Lac) मूल्य श्रृंखला पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन किया गया था, जिसमें लाख उद्योग के विभिन्न हितधारकों, मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया तथा वित्तपोषण की संभावनाओं का सरल एवं व्यावहारिक विवरण प्रस्तुत किया गया था।

उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान बैठक में एसएलबीसी के सहयोग से किसान उत्पादक संगठनों के वित्तपोषण हेतु एक क्रेडिट गाइड का विमोचन किया गया है। इस पुस्तिका में FPOs के विभिन्न कानूनी स्वरूपों, वित्तपोषण से पूर्व आवश्यक जांच बिंदुओं तथा कार्यशील पूंजी एवं Term Loan की आवश्यकताओं का सरल एवं व्यवहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है, जिससे बैंकरों को FPO वित्तपोषण में सुविधा होगी।

उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे केवल FPOs तक सीमित न रहकर संपूर्ण Agriculture Value Chain के विभिन्न प्रतिभागियों, जैसे किसानों, FPOs, प्रसंस्करण इकाइयों एवं राइस मिलों आदि के वित्तपोषण पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर वित्तपोषण से न केवल ऋण की गुणवत्ता एवं सुरक्षा में सुधार होता है, बल्कि संपूर्ण कृषि पारितंत्र को भी मजबूती मिलती है।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ मुख्य महाप्रबंधक, NABARD ने सदन को अवगत कराया कि बैठक के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियों हेतु चालू वर्ष के लिए तैयार Unit Cost Booklet का भी विमोचन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पुस्तिका में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए Indicative Unit Cost का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया गया है, जो बैंकों के लिए ऋण मूल्यांकन एवं वित्तपोषण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

❖ मुख्य महाप्रबंधक, NABARD ने कहा कि राज्य में MSME क्षेत्र का प्रदर्शन अत्यंत उत्साहजनक रहा है तथा वार्षिक ऋण योजना (ACP) के अंतर्गत MSME क्षेत्र में लगभग 120 प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह राज्य में MSME क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं एवं प्रगति का परिचायक है।

उन्होंने आगे बताया कि MSME एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से NABARD ने XLRI के सहयोग से XLRI Council for Innovation and Entrepreneurship की स्थापना की है। इस केंद्र के माध्यम से नवाचार आधारित उद्यमों एवं स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उन्हें इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, प्रोटोटाइप विकास, कानूनी अनुपालन एवं प्रारंभिक पूंजी सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि इस पहल के अंतर्गत विशेष रूप से महिला, जनजातीय एवं ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि भविष्य में इस केंद्र द्वारा विकसित एवं इनक्यूबेट किए गए उद्यमों के वित्तपोषण में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, जिससे राज्य में नवाचार एवं उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ श्रीमती दीपमाला घोष ने सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों से अनुरोध किया कि वे NABARD के जिला विकास प्रबंधकों तथा संबंधित जिला स्तरीय तकनीकी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिला स्तरीय तकनीकी समिति (DLTC) की बैठकों का आयोजन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि चालू वर्ष में DLTC बैठकों के आयोजन में विलंब होने के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस का निर्धारण अप्रैल माह तक लंबित रहा, जिससे विभिन्न स्तरों पर



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखण्ड BOI

कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आग्रह किया कि आगामी वर्षों में DLTC बैठकों का आयोजन वर्ष के प्रारंभ में ही कर लिया जाए, ताकि स्केल ऑफ फाइनेंस का समय पर निर्धारण हो सके और सभी संबंधित संस्थाओं का कार्य सुचारु रूप से संपादित हो सके।

**(एक्शन- अग्रणी जिला प्रबंधक)**

- मुख्य महाप्रबंधक, NABARD ने निदेशक, DFS से अनुरोध किया कि वार्षिक ऋण योजना एवं कृषि ऋण लक्ष्यों के निर्धारण के उपरांत अतिरिक्त लक्ष्यों के आवंटन की प्रक्रिया में राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों एवं Credit Absorption Capacity को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में भूमि अभिलेखों एवं स्वामित्व संबंधी चुनौतियों के कारण कृषि ऋण, विशेषकर फसल ऋण के वितरण में व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि कृषि ऋण लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि अपेक्षाकृत कम रहने का एक कारण बाद में आवंटित किए गए अतिरिक्त लक्ष्य भी हैं, जो कई बार राज्य की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होते। उन्होंने अनुरोध किया कि लक्ष्यों के निर्धारण में राज्य-विशिष्ट परिस्थितियों एवं संभावनाओं को ध्यान में रखा जाए, जिससे निर्धारित लक्ष्य अधिक यथार्थवादी एवं प्राप्त करने योग्य हो सकें।

  निदेशक, वित्त सेवा विभाग ने आश्वस्त किया कि नाबार्ड द्वारा उठाए गए उपर्युक्त विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

## ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्रीमति रक्षा मिश्र का सम्बोधन -

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने संबोधन में कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान झारखंड के बैंकिंग क्षेत्र ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। राज्य में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार एवं ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। ऋण-जमा अनुपात में सुधार होकर यह 31.03.2026 तक यह अनुपात 53.78 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके साथ ही बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) में भी सुधार परिलक्षित हुआ है तथा MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया गया है, जो राज्य में उद्यमिता, रोजगार सृजन एवं औद्योगिक गतिविधियों को मिल रहे प्रोत्साहन का संकेत है।

  उन्होंने कहा कि यद्यपि परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, तथापि इस क्षेत्र में निरंतर सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य का सकल एनपीए स्तर अभी भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक है। अतः बैंकों को परिसंपत्ति गुणवत्ता में और सुधार लाने तथा एनपीए नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने चाहिए।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- श्रीमती रक्षा मिश्र ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ-साथ कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिन पर आगे और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वह वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बैंकों की कुछ प्रमुख प्राथमिकताओं का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहेंगी।

  उन्होंने कहा कि राज्य के ऋण-जमा अनुपात में सुधार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऋण विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं, जिन्हें बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने की दिशा में विशेष ध्यान एवं प्रयास करें।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- श्रीमती रक्षा मिश्र ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा झारखंड के 11 जिलों की पहचान ऐसे जिलों के रूप में की गई है, जहां प्रति व्यक्ति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Per Capita Priority Sector Credit) ₹9,000 से कम है। इन **जिलों में बोकारो, चतरा, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, पलामू, साहिबगंज एवं सिमडेगा शामिल हैं।**

  उन्होंने बैंकिंग समुदाय से आग्रह किया कि इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए लक्षित प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Development) सुनिश्चित करने के साथ-साथ राज्य के ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने में भी सहायता मिलेगी।

  **(एक्शन- समस्त बैंक एवं संबन्धित अग्रणी जिला प्रबंधक)**

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण पर चर्चा करते हुए उल्लेख किया कि झारखंड की लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। ऐसे में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

  उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। अतः बैंकों को इन क्षेत्रों के वित्तपोषण पर विशेष ध्यान देनी कि आवश्यकता है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण वितरण को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने फोकस ग्रुप बैंकों के अंतर्गत लंबित Re-KYC मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में पूर्व में सराहनीय प्रगति हुई थी, किन्तु वर्तमान में प्रगति की गति धीमी पड़ती हुई प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि फोकस ग्रुप बैंकों में Re-KYC लंबित मामलों की समीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है तथा राज्य में लंबित मामलों का अधिकांश भाग 7-8 बैंकों में केंद्रित है।

  उन्होंने विशेष रूप से उन बैंकों से आग्रह किया, जहां Re-KYC की लंबित संख्या अधिक है, कि वे इसके कारणों का विश्लेषण कर मिशन मोड में लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि फोकस ग्रुप के अंतर्गत शामिल अधिकांश खाते ऐसे हैं, जिनमें पिछले एक वर्ष के दौरान ग्राहक संपर्क अथवा लेनदेन हुआ है, इसलिए इनके KYC अद्यतनकरण में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

  उन्होंने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि फोकस ग्रुप के अंतर्गत लंबित Re-KYC मामलों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि राज्य का प्रदर्शन और बेहतर हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में RBI द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

- श्रीमती रक्षा मिश्र ने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2.0 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड में 23,454 Unbanked Revenue Centres चिन्हित हैं, जहां बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना सभी बैंकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं अथवा अन्य उपयुक्त बैंकिंग माध्यमों के जरिए इन क्षेत्रों तक प्रभावी बैंकिंग समाधान पहुंचाए जाने की आवश्यकता है।

  उन्होंने आगे कहा कि NSFI 2.0 के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक कुल बैंकिंग संवाददाताओं में कम-से-कम 30 प्रतिशत महिला बैंकिंग संवाददाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने एसएलबीसी एवं सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि इन लक्ष्यों की

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड

नियमित समीक्षा की जाए तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनकी प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

**(एक्शन- एसएलबीसी एवं समस्त बैंक)**

- श्रीमती रक्षा मिश्र ने उल्लेख किया कि बैठक के दौरान यह जानकारी साझा की गई कि झारखंड में प्रति लाख आबादी पर बैंक शाखाओं, बैंकिंग आउटलेट्स तथा एटीएम की संख्या राष्ट्रीय औसत की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य के अनेक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच अभी भी सीमित है।

  उन्होंने विशेष रूप से 31 मार्च 2025 के उपलब्ध आँकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि **चतरा, साहिबगंज, पाकुड़, सिमडेगा, गुमला तथा जामताड़ा** जैसे जिले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) के अनुसार निचले स्तर में आते हैं।

  इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि इन जिलों में बैंक शाखाओं, एटीएम नेटवर्क तथा अन्य बैंकिंग संपर्क बिंदुओं के विस्तार हेतु विशेष प्रयास किए जाएँ, ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके तथा आम जनता को सुलभ बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।

**(एक्शन- समस्त बैंक एवं संबन्धित अग्रणी जिला प्रबंधक)**

- भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षेत्रीय निदेशक, श्रीमती रक्षा मिश्रा ने वित्तीय समावेशन एवं ऋण प्रवाह को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) के माध्यम से डेयरी किसानों को सहज ऋण उपलब्ध कराने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को गति देने तथा एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु Empowered Committee on MSMEs की बैठकों में उद्योग विभाग की नियमित भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन पहलों से राज्य में वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण प्रणाली तथा MSME Ecosystem को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

## च) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार श्री मनोज कुमार का सम्बोधन-

- ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने कहा कि ग्रामीण एवं जनजातीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण तथा वित्तीय समावेशन में स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराया जाने वाला बैंक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंकों के सहयोग से 2.27 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया, जो संख्या के आधार पर निर्धारित लक्ष्य का 114 प्रतिशत है। कुल ₹4,653 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, जो ₹5,000 करोड़ के लक्ष्य के 90 प्रतिशत से अधिक है।

  उन्होंने उल्लेख किया कि स्वयं सहायता समूहों का एनपीए स्तर 1 प्रतिशत से भी कम है, जो उनकी बेहतर पुनर्भुगतान क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि राज्य में अधिकांश स्वयं सहायता समूह वित्तीय समावेशन से जुड़ चुके हैं तथा 'पलाश' ब्रांड के माध्यम से उनकी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

  उन्होंने कहा कि अब स्वयं सहायता समूह आंदोलन एक परिपक्व अवस्था में पहुँच चुका है और उनकी उत्पादक गतिविधियों के विस्तार हेतु अधिक ऋण सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वयं सहायता समूहों हेतु निर्धारित ₹5,000 करोड़ के ऋण लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ। साथ ही, जिन बैंकों का प्रदर्शन पिछले वर्ष अपेक्षानुरूप नहीं रहा, उनसे लक्ष्य प्राप्ति हेतु अतिरिक्त प्रयास करने का अनुरोध किया।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने बैंकिंग संवाददाताओं की नियुक्ति के महत्व पर बल देते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को बैंकिंग संवाददाता के रूप में अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिसंबर 2028 तक महिला बैंकिंग संवाददाताओं की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

  उन्होंने कहा कि इस संबंध में बैंकों को दिया गया लक्ष्य न्यूनतम है तथा बैंक इससे आगे बढ़कर भी कार्य कर सकते हैं। राज्य में वित्तीय सेवाओं के विस्तार तथा लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बैंकिंग संवाददाताओं का नेटवर्क सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है, ताकि लोगों को बैंकिंग सेवाएँ उनके निकट उपलब्ध हो सकें।

  उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता एवं सामुदायिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव प्राप्त है, जिससे वे प्रभावी बैंकिंग संवाददाता की भूमिका निभा सकती हैं। अतः बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अधिकाधिक एसएचजी सदस्यों को बैंकिंग संवाददाता के रूप में नियुक्त करने पर विचार करें।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

- श्री मनोज कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

  उन्होंने उल्लेख किया कि कई मामलों में दावों के निपटारे में अपेक्षाकृत अधिक समय लग जाता है, जिससे लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि इन योजनाओं के अंतर्गत लंबित दावों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

- श्री मनोज कुमार ने स्वयं सहायता समूहों को मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में कहा कि जेएसएलपीएस द्वारा अनुशंसित ऋण आवेदनों का विभिन्न स्तरों पर परीक्षण एवं सत्यापन किए जाने के उपरांत ही उन्हें बैंकों को अग्रेषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के कारण बैंक शाखाओं को प्राप्त अधिकांश आवेदन पूर्व-सत्यापित एवं आवश्यक रूप से जांचे-परखे होते हैं।

  उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि यदि किसी आवेदन के संबंध में अतिरिक्त जांच अथवा दस्तावेजों की आवश्यकता हो तो उसका निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अनेक ऋण आवेदन शाखाओं में लंबे समय तक लंबित रहते हैं, जिससे ऋण वितरण प्रक्रिया प्रभावित होती है। अतः बैंकों से लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण तथा समयबद्ध ऋण स्वीकृति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

- ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने RSETIs के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कहा कि गत वर्ष प्रशिक्षण का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सका था। उन्होंने बैंकों से चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित प्रशिक्षण लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

  उन्होंने यह भी कहा कि RSETIs द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्वरोजगार हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के ऋण आवेदनों के निस्तारण एवं क्रेडिट लिंकेज की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि बैंक अपने ही संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देंगे, तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रभावित होगा।

उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि RSETIs से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा उनकी क्रेडिट लिंकेज में सुधार लाया जाए, ताकि प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- श्री मनोज कुमार ने कहा कि स्वयं सहायता समूह आंदोलन एवं RSETI कार्यक्रम झारखंड के ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने बैंकों द्वारा अब तक प्रदान किए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों की वर्तमान प्रगति में बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

  उन्होंने बैंकों से आगामी वर्षों में और अधिक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त उद्यमी के रूप में विकसित किया जा सके तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास को गति मिल सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

## छ) सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार श्री अरवा राजकमल का सम्बोधन-

- उद्योग विभाग के सचिव ने PMFME की प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए कहा कि यद्यपि राज्य ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एमएसएमई ऋण वितरण में निर्धारित ₹40,000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ₹48,000 करोड़ से अधिक की उपलब्धि हासिल की है, तथापि PMFME जैसी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समर्थित महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत प्रदर्शन अपेक्षानुरूप नहीं रहा है।

  उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह एक आकर्षक योजना है, जिसमें अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भी लाभ प्रदान किया जाता है। इसके बावजूद स्वीकृतियों एवं ऋण वितरण की प्रगति संतोषजनक नहीं रही, जिस पर सभी हितधारकों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।

  उन्होंने बैंकों का ध्यान बड़ी संख्या में अस्वीकृत आवेदनों की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि कई मामलों में आवेदन ऐसे कारणों से अस्वीकृत किए गए हैं, जिनकी पुनः समीक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से आवेदक बैंक का ग्राहक नहीं होना, आवेदक का शाखा में उपस्थित न होना, सेवा क्षेत्र से बाहर होना अथवा अस्पष्ट कारणों से आवेदन अस्वीकृत किए जाने पर चिंता व्यक्त की।

  उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि PMFME योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का सकारात्मक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाए तथा अस्वीकृति के कारणों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता में सुधार लाया जाए, ताकि योजना के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- श्री अरवा राजकमल ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि यह देश की सबसे महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजनाओं में से एक है तथा वर्तमान में भी युवाओं को उद्यमिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

  उन्होंने कहा कि यह विचारणीय विषय है कि जहाँ बैंक विभिन्न ऋण योजनाओं, विशेषकर मुद्रा योजना, में लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, वहीं PMEGP के लक्ष्यों की प्राप्ति अपेक्षानुरूप नहीं हो पा रही है, जबकि इस योजना को केंद्र सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

  उन्होंने उल्लेख किया कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पहलें संचालित की जा रही हैं। एक ओर भारत सरकार द्वारा उद्यम पोर्टल एवं अन्य सहायता तंत्र के माध्यम

से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार भी अपनी एमएसएमई प्रोत्साहन नीति एवं अन्य सहायक कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि PMEGP के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण एवं ऋण वितरण में विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि योजना के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित हो सके तथा राज्य में रोजगार सृजन एवं उद्यमिता विकास को और गति मिल सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- ❖ उद्योग विभाग के सचिव ने कहा कि राज्य में एमएसएमई ऋण प्रवाह में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है तथा वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की गई है। तथापि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एमएसएमई की संशोधित परिभाषा के कारण आंकड़ों की समीक्षा करते समय यह भी देखा जाना आवश्यक है कि ऋण वृद्धि का कितना हिस्सा वास्तविक नए वित्तपोषण का परिणाम है।

  उन्होंने विशेष रूप से PMFME एवं PMEGP जैसी राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियों में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि इन योजनाओं के आवेदनों के प्रति अधिक संवेदनशील एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि सूक्ष्म उद्यमियों को समयबद्ध ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके।

  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं बैंकिंग क्षेत्र को एक टीम के रूप में कार्य करते हुए इन योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने तथा एमएसएमई क्षेत्र के समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि उद्योग विभाग इस दिशा में बैंकों के साथ निरंतर समन्वय एवं सहयोग बनाए रखेगा।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

## ज) कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री सुब्रत कुमार का सम्बोधन –

- ❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक ने राज्य में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा विभिन्न मानकों पर प्राप्त उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि बैंकों ने वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति, अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन, ऋण जमा अनुपात में सुधार तथा एनपीए में कमी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है।

  उन्होंने कहा कि यद्यपि बैंकिंग क्षेत्र का समग्र प्रदर्शन संतोषजनक रहा है, फिर भी PMFME, PMEGP तथा अन्य प्राथमिकता वाली सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदर्शन में और सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने सभी बैंकों से इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयास करने का आग्रह किया।

  उन्होंने आश्वासन दिया कि बैंकिंग क्षेत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा, ताकि इन योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुँच सके तथा राज्य के समावेशी विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- ❖ बैठक के अध्यक्ष श्री सुब्रत कुमार ने अपने संबोधन में बैंकों का ध्यान भारत सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि यह योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

  उन्होंने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से अनुरोध किया कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से जुड़ सकें तथा योजना का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)**

❖ श्री सुब्रत कुमार ने राज्य सरकार की गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि योजना के तहत ऋण स्वीकृतियों में 166 प्रतिशत तथा ऋण वितरण में 108 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त इस सकारात्मक गति को आगामी वर्षों में भी बनाए रखा जाए, ताकि अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक ने KRISHIKA ऐप के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कृषि ऋण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड अभियान एवं संस्थागत कृषि ऋण की पहुँच को अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा रहा है।

उन्होंने सभी बैंकों एवं संबंधित हितधारकों से अनुरोध किया कि कृषिका ऐप को मिशन मोड में अपनाते हुए अभियान को सक्रिय रूप से संचालित करें तथा अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने का प्रयास करें, ताकि कृषि ऋण की पहुँच और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)**

❖ श्री सुब्रत कुमार ने बैंक शाखा विस्तार की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित 97 शाखाओं के लक्ष्य के विरुद्ध 92 शाखाएँ खोली गई हैं। उन्होंने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि कुछ बैंक अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नई शाखाएँ खोलने में सफल नहीं हो सके हैं।

उन्होंने संबंधित बैंकों से अनुरोध किया कि वे लंबित शाखा विस्तार प्रस्तावों की पुनः समीक्षा करें तथा वर्तमान वर्ष के लक्ष्यों के साथ-साथ पिछले वर्ष के अपूर्ण लक्ष्यों को भी शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आगामी SLBC बैठक में इस विषय की पुनः समीक्षा की जाएगी।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ श्री सुब्रत कुमार ने डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते प्रसार के साथ डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं यूपीआई आधारित लेनदेन के बढ़ते उपयोग के साथ ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग, फर्जी कॉल एवं ओटीपी आधारित ठगी जैसी घटनाओं से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से आग्रह किया कि ग्राहकों के बीच डिजिटल सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाएँ तथा सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार ग्राहकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी सहायता एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

**(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)**

❖ श्री सुब्रत कुमार ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ECLGS 5.0 योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना उन पात्र व्यवसायों एवं उधारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों एवं Supply Chain में व्यवधान के कारण प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि योजना के प्रावधानों के अनुरूप पात्र एमएसएमई एवं अन्य योग्य उधारकर्ताओं तक इसका लाभ पहुँचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रभावित इकाइयों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा बैंकिंग प्रणाली में उत्पन्न तनाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक ने Customer Service Excellence के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों एवं बैंकों के ग्राहक सेवा प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन एवं रैंकिंग की जाती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी ग्राहक सेवा के संबंध में मूल्यांकन एवं रैंकिंग की व्यवस्था विकसित की जा रही है।
उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे Liability एवं Asset दोनों पक्षों सहित सभी बैंकिंग सेवाओं में ग्राहक संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण एवं सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राहक सेवा के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार आएगा।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ अपने समापन संबोधन में श्री सुब्रत कुमार ने कहा कि वित्तीय समावेशन तभी सार्थक होगा जब बैंकिंग एवं सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि शाखा विस्तार से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए तथा शाखाओं के संबंध में किसी भी परिवर्तन को विभागीय दिशा-निर्देशों एवं आवश्यक अनुमतियों के अनुरूप ही किया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए झारखंड को वित्तीय समावेशन, कृषि विकास, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सतत आर्थिक विकास के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने विशेष रूप से प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सक्रिय योगदान दें, ताकि राज्य का आर्थिक विकास एवं जनकल्याण सुनिश्चित हो सके।
अंत में उन्होंने सभी बैंकों एवं संबंधित विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शुभकामनाएँ देते हुए उनके सहयोग एवं योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

**(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधक को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड द्वारा प्रशंसा-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

1. **Crop Loan Excellence Award** – वित्तीय वर्ष 2025-26 में फसल ऋण वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु **बैंक ऑफ इंडिया** को सम्मानित किया गया।
2. **SHG-NRLM Credit Linkage Excellence Award** – स्वयं सहायता समूहों के ऋण संबद्धीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु **झारखंड ग्रामीण बैंक** को सम्मानित किया गया।
3. **Social Security Inclusion Excellence Award** – सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु **भारतीय स्टेट बैंक** को सम्मानित किया गया।
4. **Asset Quality Excellence Award –** एनपीए में कमी एवं परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु **इंडियन बैंक** को सम्मानित किया गया।
5. **Re-KYC Excellence Award –** तीन माह के री-केवाईसी संतृप्ति अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु **बैंक ऑफ इंडिया** को सम्मानित किया गया।
6. **District Coordination Leadership Award –** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय में उत्कृष्ट योगदान हेतु **अग्रणी जिला प्रबंधक, धनबाद** को सम्मानित किया गया।
7. **Branch Expansion Leadership Award** – शाखा विस्तार एवं वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान हेतु **अग्रणी जिला प्रबंधक, रांची** को सम्मानित किया गया।

8. **<u>Customer Compliance Achievement Award –</u>** तीन माह के री-केवाईसी अभियान के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु **अग्रणी जिला प्रबंधक, लातेहार** को सम्मानित किया गया।

बैठक के अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री संतोष कुमार  सिन्हा ने एस.एल.बी.सी की 95वीं बैठक में शामिल सदस्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन श्रीमती भव्या सेहगल ,अधिकारी, रा. स्त. बै. स  द्वारा किया गया।

**( गुरु प्रसाद गोंड )**
**महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.**

## 95 वीं एसएलबीसी बैठक, मार्च 2026

### 05 जून 2026, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, रांची

| क्रमांक | नाम | पद | विभाग | संपर्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सुब्रत कुमार | कार्यकारी निदेशक | बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय | |
| 2 | श्री अंजनी कुमार ठाकुर | निदेशक | वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | |
| 3 | श्री अरवा राजकमल भा॰प्र॰से | सचिव | सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार | |
| 4 | श्री मनोज कुमार भा॰प्र॰से॰ | सचिव | ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार | |
| 5 | श्रीमती रक्षा मिश्र | क्षेत्रीय निदेशक | भारतीय रिजर्व बैंक | |
| 6 | श्री नितिन गोविंदराव देशपांडे | मुख्य महाप्रबंधक | बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय | |
| 7 | श्रीमति दीपमाल घोष | मुख्य महाप्रबंधक | नाबार्ड | |
| 8 | श्री गुरु प्रसाद गोंड | महाप्रबंधक | बैंक ऑफ इंडिया एसएलबीसी | |
| 9 | श्रीमती सीता पुष्पा भा॰प्र॰से॰ | अपर सचिव | स्कूली शिक्षा विभाग | 9431102008 |
| 10 | श्रीमती संध्या गुप्ता | अपर सचिव | वित्त विभाग | |
| 11 | श्री कपिलदेव पंडित | अपर सचिव | वित्त विभाग | 7903028430 |
| 12 | श्री आर एस भगवाने | महाप्रबंधक | नाबार्ड | 941016067 |
| 13 | श्री संतोष कुमार सिन्हा | उप महाप्रबंधक | एसएलबीसी | |
| 14 | श्री दीप शंकर | उप महाप्रबंधक | बैंक ऑफ इंडिया | |
| 15 | श्री अमित कुमार भदानी | उप महाप्रबंधक | बैंक ऑफ इंडिया रांची अंचल | |
| 16 | श्रीमति कुमकुम वर्मा | उप महाप्रबंधक | भारतीय रिज़र्व बैंक | 8757062640 |
| 17 | श्री आर सी गोयल | उप महाप्रबंधक | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 9264291876 |
| 18 | श्री राकेश कुमार | उप महाप्रबंधक | पंजाब नेशनल बैंक | 9967953108 |
| 19 | श्री बेनुधर पाढ़ी | महाप्रबंधक | भारतीय स्टेट बैंक | 6372446470 |
| 20 | श्री मनीष कुमार मिश्रा | उप महाप्रबंधक | भारतीय स्टेट बैंक | 9890499987 |
| 21 | श्री ऋषि गुप्ता | महाप्रबंधक | आईडीबीआईबैंक लिमिटेड | 9920613772 |
| 22 | श्री राजू मोहन | महाप्रबंधक | केनरा बैंक | 9205277451 |
| 23 | श्रीमति रानी कुमारी | सहयाक महाप्रबंधक | केनरा बैंक | 9436543225 |
| 24 | श्री रवि शंकर विध्यार्थी | संयुक्त सचिव | कृषि और सहकारी बैंक | 7739830634 |
| 25 | श्री राजेश शरण | उप महाप्रबंधक | इंडियन बैंक | 9800005483 |
| 26 | श्रीमति सोनम शिखा तिर्की | वरिष्ठ प्रबंधक | पंजाब नेशनल बैंक | 7509079490 |
| 27 | श्री कुन्दन कुमार सिन्हा | उप महाप्रबंधक | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया | 7011560806 |
| 28 | श्री नीलमणि | उप महाप्रबंधक | बैंक ऑफ़ बड़ौदा | 7261096555 |
| 29 | श्री सुशांत कुमार | वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक | इंडियन ओवरसीज़ बैंक | 9650681565 |
| 30 | श्री सोनू कुमार | प्रबंधक | बैंक ऑफ़ बड़ौदा | 6287395612 |
| 31 | श्री व नागद्वार | वरिष्ठ प्रबंधक | इंडियन बैंक | 9304886075 |
| 32 | श्री दीपेन्द्र घोष | क्लस्टर प्रमुख | उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9334821144 |
| 33 | श्री देओराज़ | आंचलिक प्रबन्धक | उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक | 6203373884 |
| 34 | श्री पंकज कुमार मिश्रा | प्रबंधक | एयरटेल पेमेंट बैंक | 7541049651 |
| 35 | श्री रमेश कुमार राजेश | शाखा प्रमुख | डीबीएस बैंक | 9631574749 |
| 36 | श्री कुयर्मरूलहोदा | आंचलिक प्रमुख | इंडसइंडबैंक | 9830992994 |
| 37 | श्री परिशेष पाठक | मुख्य प्रबंधक | झारखंड राज्य सहकारी बैंक | 8709199091 |
| 38 | श्री दिलीप कुमार | प्रबंधक | झारखंड राज्य सहकारी बैंक | 8084173101 |
| 39 | श्री अमन आदित्य | सहायक प्रबंधक | राष्ट्रीय आवास बैंक | 8448291940 |
| 40 | श्री परिचय | आरएम | राष्ट्रीय आवास बैंक | 8448291940 |
| 41 | श्री सुनील कुमार | सहायक महाप्रबंधक | नाबार्ड | 8420664993 |
| 42 | श्री मृत्युंजय बक्शी | डीडीएम चतरा | नाबार्ड | 9654396091 |
| 43 | श्री अजय कुमार डुबे | उप क्षेत्रीय प्रबंधक | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 9630785957 |
| 44 | श्री सिद्धार्थ पाण्डेय | प्रबंधक | नाबार्ड | 8349148188 |
| 45 | श्री इंद्रजीत यादव | निदेशक | एमएसएमई डीएफ़ओ | 8126248984 |
| 46 | श्री मदन मोहन बरियार | अध्यक्ष | जेआरजी बैंक | 9304118032 |
| 47 | श्री संजय कुमार | सहायक महाप्रबंधक | जेआरजी बैंक | 8709316664 |
| 48 | श्री उज्ज्वल घोष | सहायक महाप्रबंधक | भारतीय रिजर्व बैंक | |
| 49 | श्री सनी | प्रबंधक | भारतीय रिजर्व बैंक | 8809501850 |
| 50 | श्री गौरव कुमार | प्रबंधक | भारतीय रिजर्व बैंक | 6201473823 |
| 51 | श्रीमति ममता रानी | मुख्य प्रबंधक | भारतीय स्टेट बैंक | 977144155 |
| 52 | श्री अरुण | सहायक महाप्रबंधक | भारतीय स्टेट बैंक | 9204135554 |
| 53 | श्री कुमार राहुल | प्रबंधक | भारतीय स्टेट बैंक | 9689783711 |
| 54 | श्री विकाश पांडे | मुख्य प्रबंधक | भारतीय स्टेट बैंक | 6353917674 |
| 55 | श्री राजीव कुमार | सहायक निदेशक | केवीआईसी | 9474059775 |
| 56 | श्री सौरभ श्रीवस्त्वा | सहायक महाप्रबंधक | यूको बैंक | 9644050800 |
| 57 | श्री हरिचन्द मुरमु | वरिष्ठ प्रबंधक | यूको बैंक | 9792301302 |
| 58 | श्री धीरज कुमार होरो | एसपीएम_एफआई | जेएसएलपीएस | 8969170434 |
| 59 | श्री प्रवाया कुमार सिंह | सहायक महाप्रबंधक | SIDBI | 9082867930 |
| 60 | श्री शिवम सिंह | सचिव | जेएसआईए | 9835334399 |
| 61 | श्री शंभू प्रसाद यादव | उप निदेशक | मत्स्य पालन निदेशालय | 7903097749 |
| 62 | श्री विनय कुमार | मुख्य कार्यकारी कार्यालय | धनबाद सेंट्रल को_ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड | 9430145773 |
| 63 | श्री रमन बनैत | मुख्य प्रबंधक | कर्नाटक बैंक | 9654170177 |
| 64 | श्री अमित कुमार | वरिष्ठ प्रबंधक | पंजाब एंड सिंध बैंक | 7321003511 |
| 65 | श्री सुशील कुमार | प्रबंधक | इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक | 7903233764 |
| 66 | श्री विवेक जमवाल | शाखा प्रबंधक | जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड | 9622095966 |
| 67 | श्री अंगद राय | उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रबंधक | कोटक महिंद्रा बैंक | 9932290705 |
| 68 | श्री कृष्ण शंकर ओझा | मुख्य प्रबंधक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 9431359893 |
| 69 | श्री अभिषेक पांडे | एवीपी | ईएसएएफ एसएफबी | 9977278978 |

## 95 वीं एसएलबीसी+A1:E105ी बैठक, मार्च 2026

### 05 जून 2026, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, रांची

| क्रमांक | नाम | पद | विभाग | संपर्क |
|---|---|---|---|---|
| 70 | श्री तनु कुमार वर्मा | क्षेत्र प्रमुख | ईएसएएफ एसएफबी | 7000983718 |
| 71 | श्री रत्नेश पांडे | एवीपी | यस बैंक | 9006782257 |
| 72 | श्री मनीष केशरी | एवीपी | यस बैंक | |
| 73 | श्री शैलेन हल्दर | डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजर | उज्जीवन लघु वित्त बैंक | |
| 74 | श्री सप्तऋषि समंता | आरएनओ | आईडीएफसीफर्स्ट बैंक लिमिटेड | 9334489624 |
| 75 | श्री अशोक साहू | क्लस्टर प्रमुख | बंधन बैंक | |
| 76 | श्री हिमांशु कमल | क्षेत्रीय प्रमुख | बंधन बैंक | 7703803372 |
| 77 | अनुपस्थित | | जना एसएफबी | |
| 78 | श्री आनंद कुमार | मुख्य प्रबंधक | एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 9257091532 |
| 79 | श्री शशि कपूर | मुख्य प्रबंधक | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 6302901245 |
| 80 | श्री अमीतांशु कुमार | प्रबंधक | द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड | 9037854474 |
| 81 | श्री सुनील तिवारी | राज्य प्रमुख | करूरवास्या बैंक | 7818949135 |
| 82 | श्रीमति अल्पना शर्मा | प्रबंधक | सिटी यूनियन बैंक | 9959607525 |
| 83 | श्री राजीव मिश्रा | क्षेत्रीय प्रमुख | फिनो पेमेंट बैंक | 9670526836 |
| 84 | श्री नितेश चंद्रा | क्षेत्रीय प्रमुख एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 9162646931 |
| 85 | श्री परविंदर सिंह | राज्य प्रमुख | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 9771413009 |
| 86 | श्री सुभास कुमार | राज्य प्रमुख | एक्सिस बैंक | 7260811600 |
| 87 | श्री अनिल कुमार | स्नो आरसेटी | जेएसएलपीएस | 9431901016 |
| 88 | श्री राजीव कुमार मिश्रा | क्षेत्रीय प्रमुख | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 7004418421 |
| 89 | श्री जयबर्धन गोविंदा | एएसएम | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 7260899287 |
| 90 | श्री गोपाल कुमार | शाखा प्रमुख | आरबीएल बैंक | 8877888807 |
| 91 | श्रीमति जया सिन्हा | अनुभाग अधिकारी | वित्त विभाग | 8210334544 |
| 92 | श्रीमति मनीषा कुमारी | अनुभाग अधिकारी | वित्त विभाग | 8252839397 |
| 93 | श्री रुद्र कुमार गुप्ता | अनुभाग अधिकारी | वित्त विभाग | 7979718022 |
| 94 | अनुपस्थित | | फेडरलबैंक | |
| 95 | श्री ब्रजेन्द्र हेमरोम | ओएसडी | MGNREGA | 6201293332 |
| 96 | श्रीमति शीला मेहता | प्रोग्रामर | MGNREGA | 9471714164 |
| 97 | श्री कमल बगारिया | एसएओ | MGNREGA | 9973706770 |
| 98 | सी ए एम के जैन | अध्यक्ष | एफ़जेसीसीआई | 9431170418 |
| 99 | श्री संजीव रंजन | सहायक निदेशक | डेयरी निदेशालय | 9304600712 |
| 100 | श्री चन्द्र भूषण पांडे | एससीआर | नेशनल अकादमी ऑफ RUDSETI | 9073396646 |
| 101 | श्री एस के चौधरी | बैंकिंग प्रॉफेश्नल | NASSHO | 9760245415 |
| 102 | श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा | बोकारो | अग्रणी जिला प्रबंधक | 7319167837 |
| 103 | श्री अहसन अहमद | चतरा | अग्रणी जिला प्रबंधक | 7236935784 |
| 104 | श्री अमित कुमार | धनबाद | अग्रणी जिला प्रबंधक | 8298715715 |
| 105 | श्री संजीव कुमार चौधरी | पूर्वी सिंहभूम | अग्रणी जिला प्रबंधक | 9735825487 |
| 106 | श्री अमृत चौधरी | गिरिडीह | अग्रणी जिला प्रबंधक | 8210169991 |
| 107 | श्री विनोद कुमार | गुमला | अग्रणी जिला प्रबंधक | 9893692652 |
| 108 | श्री किशोर कुमार | हज़ारीबाग | अग्रणी जिला प्रबंधक | 9572016960 |
| 109 | श्री अजित कुमार | खूंटी | अग्रणी जिला प्रबंधक | 9007826480 |
| 110 | श्री विमल कांत झा | कोडरमा | अग्रणी जिला प्रबंधक | 7710967100 |
| 111 | श्री दिवाकर सिन्हा | लोहरदगा | अग्रणी जिला प्रबंधक | 8936802753 |
| 112 | श्री देवनारायण उराँव | रामगढ़ | अग्रणी जिला प्रबंधक | 8521443753 |
| 113 | श्री प्रकाश उराँव | रांची | अग्रणी जिला प्रबंधक | 7764842162 |
| 114 | श्री बरुण कुमार चौधरी | सरायकेला खरसावां | अग्रणी जिला प्रबंधक | 7903255293 |
| 115 | श्री सानिस मिंज | सिमडेगा | अग्रणी जिला प्रबंधक | 7991140367 |
| 116 | श्री विष्णु जी | पश्चिम सिंहभूम | अग्रणी जिला प्रबंधक | 8789054483 |
| 117 | श्री चंदन चौहान | दुमका | अग्रणी जिला प्रबंधक | 7781919295 |
| 118 | श्री प्रभात रंजन | गोड्डा | अग्रणी जिला प्रबंधक | 82986 67607 |
| 119 | श्री आनंद मोहन | देवघर | अग्रणी जिला प्रबंधक | 9771435410 |
| 120 | श्री एस के रंजन | गढ़वा | अग्रणी जिला प्रबंधक | 9934363709 |
| 121 | श्री बालादित्य कुमार | जामताड़ा | अग्रणी जिला प्रबंधक | 9470650026 |
| 122 | श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव | लातेहार | अग्रणी जिला प्रबंधक | 7781011677 |
| 123 | श्री अमित कुमार सिंह | पाकुर | अग्रणी जिला प्रबंधक | 9470230901 |
| 124 | श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव | पलामू | अग्रणी जिला प्रबंधक | 9934363710 |
| 125 | श्री प्रदीप झा कुमार दीपक | साहिबगंज | अग्रणी जिला प्रबंधक | 9163044938 |
| 126 | श्री रोशन चौधरी | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 127 | श्री अभजीत टनडन | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 128 | श्रीमती भव्या सहगल | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 129 | श्री प्रशांत कुमार | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 130 | श्री कुमार ऋषभ | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 131 | श्री प्रदीप चटर्जी | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 132 | श्री मनीकान्त रवि | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 133 | श्री अश्विनी कुमार | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 134 | श्री सौरभ कुमार | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 135 | श्रीमती प्रेरणा प्रियंवदा | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 136 | श्रीमति निशा सिंह | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |
| 137 | श्री शैलेश कुमार | | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | |